न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 71 / 2014 दायर दिनांक 01.05.2014

उनवान

1. मिठूलाल पिता कालु जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— वादी

बनाम

1. रामेश्वर लाल पिता किशोर जाट आयु वयस्क निवासी हाल सिंहपुर तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. सोसर बाई पत्नी किशोर जाट आयु वयस्क निवासी हाल सिंहपुर, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. नन्द लाल पिता कालु जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. चुन्नीलाल पिता कालु जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. गीता पुत्री कालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया हाल सेनवा तहसील चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. भैरी पुत्री कालु पति राम लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया हाल सुथारिया खेड़ा तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. मु0 पप्पू पिता कालु पत्नी भैरू लाल जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. मु0 चान्दी पिता कालु जाति जाट आयु बालिग बविलायत माता वरदीबाई जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
9. वरदी बाई पत्नी कालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
10. तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
11. कंचन पत्नि नन्दराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 18.07.2024

—:निर्णयः—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा [illegible] के आ0नं0 204, 208, 209, 669, 678, 1289, 1422/203 कुल किता 7 कुल [illegible] है0 स्थित है जो रेवेन्यु रेकार्ड में मेरे व मेरे परिवार के सदस्यों के [illegible] खाते में संयुक्त दर्ज है बिना विभाजन कराये किसी भी खातेदार [illegible] अधिकार नहीं है। [illegible] खातेदार विक्रय करना चाहता है। उसका नाम खाते में गलत [illegible]र्ज हो गया क्योंकि [illegible]दी सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:33 IST
Reason: SelfAttested

पिता व सोसर के पति ने वादी व उसके भाई को अपनी समस्त चल व अचल सम्पति की वसीयत दिनांक 26.05.2004 को रजिस्टर्ड वसीयत की।

यह कि खातेदार किशोर की मृत्यु 05.11.2004 को हो गई जिससे उसके हिस्से की जमीन भी वादी व प्रतिवादी सं0 4 के नाम पर दर्ज होनी चाहिए। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम पर गलत दर्ज कर दी। जिससे उनका नाम रेवेन्यु रेकार्ड से हटाया जाना चाहिये। और प्रतिवादी सं0 1 व 2 सिंहपुर अन्य व्यक्ति के गोद चले गये। साथ ही परिवार का निम्न सजरा प्रस्तुत किया—

यह कि किशोर, गणेश के गोद चले गये उनका परथा की जमीन में कोई हक नहीं रहा बावजुद उसके किशोर की जमीन उनकी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम पर चली गई जो गलत है। जिससे उनका नाम रेवेन्यु रेकार्ड से हटाया जाना चाहिये। रेवेन्यु रेकार्ड के आधार पर जमीन अन्य को विक्रय करने पर उतारू है। दिनांक 25/4/2014 को विक्रय करने की धमकी दी।

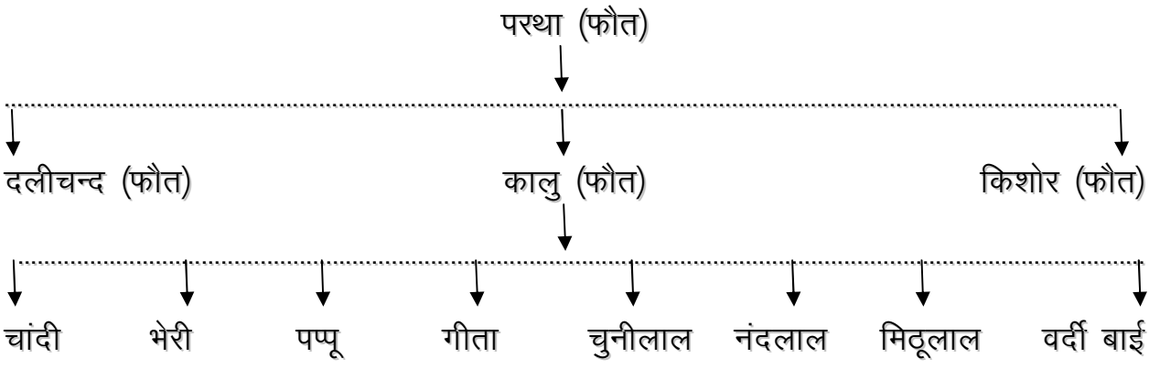

यह कि वादकारण दिनांक 25/4/2014 से एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रहा है। जबकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने विक्रय करने की धमकी दी।

अतः निवेदन है कि मौजा रोलिया की आ0 नं0 204, 208, 209, 669, 678, 1289, 1422/203 कुल किता 7 कुल रकबा 1.50 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम रेवेन्यु रेकार्ड से हटाया जावें व वादी व प्रतिवादी सं0 4 के नाम पर जमीन दर्ज की जावें। हर्जा खर्चा वकील मेहन्ताना दिलाया जावें। अन्य दाद मुफिद वादी हो दिलाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6, 7, 8 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 31.01.2018 से एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 9 के खिलाफ दिनांक 17.08.2023 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 कंचन देवी को बेचान कर दिया गया। जिससे प्रतिवादी संख्या 11 को पक्षकार बनाया जाकर जरिये सूचना पत्र तलब किया। प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 10.01.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गयी।

वादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि—

1. यह कि मौजा रोलिया के हल्के बैरूनी में मेरे खाते कब्जे की आ0 नं0 204, 208, 209, 669, 678, 1289, 1422/203 क[illegible] 7 कुल 1.50 है0 स्थित है, जो रेवेन्यु रेकार्ड में मेरे व मेरे [illegible] है, [illegible] खाते में संयुक्त दर्ज है। बिना विभाजन कराये किसी भी खातेदार को विक्रय करने का अधिकार नहीं है, प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम रेवेन्यु रेकार्ड [illegible] गलत दर्ज हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. यह कि प्रतिवादी सं0 1 के पिता व प्रतिवादी सं0 2 के पति किशोर ने वादी मिठू व उसके भाई को दिनांक 26/5/2004 को रजिस्टर्ड वसीयत की। जिससे प्रतिवादी सं0 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है।

3. यह कि वसीयतकर्त्ता किशोर गणेश के गोद चले गये, जिससे किशोर का मूल पिता की जमीन में कोई हक अधिकार नहीं है। गोद पिता की जमीन किशोर के नाम दर्ज हुई, किशोर पिता गणेश की मृत्यु होने पर उनकी जायदाद रामेश्वर व सोसर के नाम पर दर्ज हुई। जिसकी जमाबन्दी प्रस्तुत है।

4. यह कि प्रतिवादीगण को जानकारी होने के बावजूद न्यायालय में हाजिर नही हुये। और अधिवक्ता भी नियुक्त किया, किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

5. यह कि वादी ने अपना वाद सिद्ध किया है। दस्तावेज प्रस्तुत किये। वादी व गवाह के बयान करायें। वसीयत प्रभावी है। जिससे प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम रेवेन्यु रेकार्ड से हटाया जावें। वादी व प्रतिवादी सं0 4 को किशोर के हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। धारा 52 टी0पी0एक्ट0 के अनुसार वसीयत प्रभावी है।

   किशोर के गोद चले जाने से भी किशोर का मूल पिता की जमीन में कोई हिस्सा नहीं है। वादी का आराजीयात पर कब्जा है। काश्त कर रहा है।

   अतः निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करावें । वादी व प्रतिवादी सं0 4 के नाम पर किशोर का हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। लिखित बहस का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रदर्श–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृत्तक किशोर द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में वसीयत की गई है। मृत्तक किशोर, गणेश के गोद चले गये थे जिसके नामान्तरकरण की छायाप्रति संलग्न है। परन्तु वाद वर्णित आराजीयात में किशोर का नाम दर्ज होने से किशोर के हिस्से की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वरलाल व प्रतिवादी संख्या 2 सोसर बाई के नाम विरासत से दर्ज रेकार्ड हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वाद वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 11 कंचन देवी को बेचान कर दी गयी है। प्रतिवादी संख्या 11 को जरिये सम्मन तलब करने के उपरान्त भी ना तो स्वयं हाजिर हुए ना उनके ओर से कोई प्लीडर/अधिवक्ता ने हाजिर होकर ना तो कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया ना ही कोई उजर ऐतराज प्रस्तुत किया है, जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजों को ही आधार मानकर वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 तक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा रोलिया के हल्के बैरूनी के आ0नं0 204, 208, 209, 669, 678, 1289, 1422/203 कुल किता 7 कुल रकबा 1.50 है0 स्थित है में कंचन देवी पत्नी नन्दराम जाति जाट सा0 देह के बजाय मिठूलाल पिता कालू जाति जाट, चुन्नीलाल पिता कालू जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम [illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:33 IST
Reason: SelfAttested

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official